न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 34/2021

दायर दिनांक – 03.08.2021

निर्णय दिनांक – 02.10.2021

जीसीएमएस नं0 –2021/72

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री पांचू पुत्र श्री भोमा जाति मेघवंशी (मेघवाल) निवासी कानस तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री मो. इकबाल, अधि0, प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के खसरा नं. [illegible]376/3153 रकबा 1.62 है0 में से 1.37 है0 की खातेदारी प्रार्थी पांचू पुत्र श्री भोमा जाति मेघवंशी तथा शेष भूमि 0.24 है0 सीमा परिहार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त कर तरमीम किये जाने हेतु [illegible] किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:18:49 IST
Reason: SelfAttested

02.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

प्रार्थी अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने उल्लेख किया है कि ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर के वर्तमान खसरा नम्बर 2376/3153 रकबा 1.62 हैक्टर जिसके गत खसरा नंबर 1227/1895 रकबा 10 बीघा का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार प्रार्थी पांचू पुत्र भोमा था। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व में भंवरलाल पुत्र भीया के नाम दर्ज व अंकित थी। जिसका विभिन्न समयांतराल पर भिन्न–भिन्न नामांतरणकरण संख्या द्वारा अलग–अलग खातेदारों के नाम दर्ज व अंकित हुई। नामांतरणकरण संख्या 993 दिनांक 18.12.2009 द्वारा सम्पूर्ण रकबा सीमा परिहार पत्नी महावीर प्रसाद के नाम दर्ज व अंकित हुई। सीमा परिहार द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.02.2011 द्वारा उक्त भूमि में से 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रार्थी को विक्रय कर दी। जिसके आधार पर जरिये नामान्तकरण संख्या 1088 दिनांक 15.02.2011 द्वारा 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि का नामान्तकरण प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित किया गया तथा शेष भूमि 1 बीघा 10 बिस्वा सीमा परिहार पत्नी महावीर प्रसाद के नाम बदस्तुर दर्ज रही। परंतु हाल सेटलमेंट भू–प्रबंध के समस्त नामान्तरणकरण का नोट नजरअंदाज करते हुए भूमि पूर्व की तरह बद्रीनारायण पुत्र मेहराम हिस्सा 2/3, छोटू पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/3 का नाम पुनः राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित कर दिया।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर प्रार्थना–पत्र पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार पुष्कर द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/कोर्ट/2021/1971 दिनांक 30.09.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि "ग्राम देवनगर कि वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 में खाता संख्या 418 में खसरा संख्या 1227/1885 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी 3 पर भंवरलाल वल्द भीया कौम भांभी सा. देह खातेदार दर्ज है। जरिये नामा. सं. 160 दिनांक 30.11.97 विरासत से धीरा, रतना, छोटू पि. अर्जुन का अंकन दर्ज हुआ। इसी प्रकार नामा. सं. 552 से दिनांक 05.12.2004 से गैर–खातेदारी से खातेदारी का अंकन दर्ज हुआ है। नामा. सं. 565 दिनांक 10.02.2005 से विरासत से धीरा के स्थान पर कालू पुत्र धीरा का अंकन दर्ज हुआ। नामा.सं. 567 दिनांक 21.03.2005 विक्रय से रतना पुत्र अर्जुन, कालू पुत्र धीरा 2/3 के स्थान पर बद्री पुत्र मेहराम जाति ढोली सा. देह खातेदार का अंकन दर्ज हुआ। नामा. सं. 572 दिनांक 06.05.2005 विरासत से छोटू वल्द अर्जुन के स्थान पर रतना वल्द अर्जुन, कालू पुत्र धीरा, रामी पुत्री धीरा का अंकन दर्ज हुआ। नामा. सं. 752 दिनांक 05.03.2007 से विरासत से रतना वल्द अर्जुन कौम भांबी के स्थान पर मु. महफूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:18:49 IST
Reason: Self Attested

02.10.21
उपखण्ड अधिकारी

बेवा रतना, कल्याण, सुरेश पि. रतना, प्रेम, लाडी, संतोष, सीता, गीता पुत्रियां रतना का अंकन दर्ज हुआ। नामा. सं. 753 दिनांक 05.03.2007 विक्रय से बद्री पुत्र मेहराम 2/3 हि. के स्थान पर गोपी पुत्र मैरू 2/3 हि. कौम मांभी का अंकन दर्ज है। नामा.सं. 756 दिनांक 05.03.2007 विक्रय से कालू पुत्र धीरा, राधी पुत्र धीरा मु. मजफूल बेवा रतना, कल्याण सुरेश पि. रतना, प्रेम, लाडी, संतोष सीता, गीता पुत्रीयां रतना कौम मांबी के स्थान पर गोपी पुत्र मैरू मांबी सा. देह का अंकन दर्ज है। नामा. सं. 993 दिनांक 18.12.2009 गोपी पुत्र मैरू कौम मांबी के स्थान पर सीमा परिहार पत्नी महावीर प्रसाद कौम दमामी नि. ग्राम मदनदासपुरा तह. पीसांगन (अजमेर) के नाम अंकन दर्ज है। तथा नामा. सं. 1088 दिनांक 15.02.11 विक्रय से खसरा संख्या 1227/1895 रकबा 10 बीघा में से 8 बीघा 10 बीस्वा पर सीमा मरिहार पत्नी महावीर प्रसाद के स्थान पर पांचू पुत्र मोमा कौम मेघवंशी (मेघवाल) निवासी ग्राम कानस तहसील व जिला अजमेर शेष जमाबन्दी अंकन बदस्तूर का अंकन दर्ज है। ग्राम देवनगर के मिलान क्षेत्रफल अनुसार वर्किंग खसरा संख्या 1227/1895 रकबा 10 बीघा के हाल खसरा नम्बर 2376/3153 रकबा 1.62 हैक्टेयर बने है। ग्राम देवनगर कि मिसल बन्दोबस्त से बनी आधार जमाबन्दी में खाता संख्या 276 में खसरा संख्या 2376/3153 रकबा 1.62 पर बद्री पुत्र मेहराम 2/3 कौम ढोली, छोटू पुत्र 1/3 कौम मांभी सा. देह खातेदार का अंकन दर्ज है। तथा नामा. सं. 753 दिनांक 05.03.2007 का अंकन दर्ज हे। ग्राम देवनगर की जमाबन्दी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 156 में खसरा संख्या 2376/3153 रकबा 1.62 हैक्टयेर पर गोपी पुत्र मैरू 2/3 व छोटू पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/3 जाति मांभी सा. देह खातेदार का अंकन दर्ज है। तथा नामा संख्या 565 दिनांक 18.12.2017 आवाप्ती से खसरा संख्या 2376/3153 रकबा 1.62 में से 3573/3153 रकबा 0.0270 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के नाम अंकन स्वीकार हुआ शेष अंकन बदस्तूर रहा। वर्तमान सेग्रीगेशन जमाबन्दी के खाता संख्या 156 में खसरा संख्या 2376/3153 रकबा 1.5930 पर गोपी पुत्र मैरू 2/3 हि. छोटू पुत्र अर्जन 1/3 हिस्सा समस्त जाति मांबी सा. देह खातेदार का अंकन दर्ज है। ग्राम देवनगर के वर्किंग जमाबन्दी के खाता संख्या 418 में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 160 दिनांक 30.11.97, नामा. सं. 552 दिनांक 05.12.04, नामा. सं. 563 दिनांक 09.02.2005, नामा. सं. 567 दिनांक 21.03.2005, नामा. सं. 572 दिनांक 06.05.2005, नामा. संख्या 752 दिनांक 05.03.2007, नामा. [illegible] 05.03.2007, नामा. सं. 756 दिनांक 05.03.2007, नामा. सं. 993 दिनांक [illegible].12.2009 त नामा. सं. 1088 दिनांक 15.02.11, के आधार [illegible] 2069–72 के खाता संख्या 156 में दर्ज नामा. सं. 565 दिनांक 18.12.[illegible]7 के आधार पर हाल सेग्रिगेशन जमाबन्दी के खाता संख्या 156 में दर्ज अंकन के स्थान पर पाँचू पुत्र मोमा हिस्सा 275/324 जाति मेघवंशी (मेघवाल) निवासी ग्राम कानस तहसील व जिला अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:18:49 IST
Reason: SelfAttested

22.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

तथा सीमा परिहार पत्नी महावीर प्रसाद हिस्सा 49/324 जाति दमामी नि. ग्राम भगवानपुरा तह. पीसांगन (अजमेर) खातेदार का अंकन खसरा संख्या 2376/3153 रकबा 1.5930 किस्म बा.3 पर किया जाना विधि सम्मत होगा।"

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र/सहमति पत्र, इत्यादि से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम देवनगर के वर्किंग जमाबन्दी के खाता संख्या 418 में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 160 दिनांक 30.11.97, नामा. सं. 552 दिनांक 05.12.04, नामा. सं. 563 दिनांक 09.02.2005, नामा. सं. 567 दिनांक 21.03.2005, नामा. सं. 572 दिनांक 06.05.2005, नामा. संख्या 752 दिनांक 05.03.2007, नामा. सं 753 05.03.2007, नामा. सं. 756 दिनांक 05.03.2007, नामा. सं. 993 दिनांक 18.12.2009 त नामा. सं. 1088 दिनांक 15.02.11, के आधार पर तथा जमाबन्दी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 156 में दर्ज नामा. सं. 565 दिनांक 18.12.2007 के आधार पर हाल सेग्रिगेशन जमाबन्दी के खाता संख्या 156 में दर्ज अंकन के स्थान पर पाँचू पुत्र भोमा हिस्सा 275/324 जाति मेघवंशी (मेघवाल) निवासी ग्राम कानस तहसील व जिला अजमेर तथा सीमा परिहार पत्नी महावीर प्रसाद हिस्सा 49/324 जाति दमामी नि. ग्राम भगवानपुरा तह. पीसांगन (अजमेर) खातेदार का अंकन खसरा संख्या 2376/3153 रकबा 1.5930 किस्म बा.3 पर दर्ज करना, न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम देवनगर के वर्किंग जमाबन्दी के खाता संख्या 418 में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 160 दिनांक 30.11.97, नामा. सं. 552 दिनांक 05.12.04, नामा. सं. 563 दिनांक 09.02.2005, नामा. सं. 567 दिनांक 21.03.2005, नामा. सं. 572 दिनांक 06.05.2005, नामा. संख्या 752 दिनांक 05.03.2007, नामा. सं 753 05.03.2007, नामा. सं. 756 दिनांक 05.03.2007, नामा. सं. 993 दिनांक 18.12.2009 त नामा. सं. 1088 दिनांक 15.02.11, के आधार पर तथा जमाबन्दी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 156 में दर्ज नामा. सं. 565 दिनांक 18.12.2007 के आधार पर हाल सेग्रिगेशन जमाबन्दी के खाता संख्या 156 में दर्ज अंकन के स्थान पर पाँचू पुत्र भोमा हिस्सा 275/324 जाति मेघवंशी (मेघवाल) निवासी ग्राम कानस तहसील व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:18:49 IST
Reason: SelfAttested

02.10.21

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

जिला अजमेर तथा सीमा परिहार पत्नी महावीर प्रसाद हिस्सा 49/324 जाति दमामी नि. ग्राम भगवानपुरा तह. पीसांगन (अजमेर) खातेदार का अंकन खसरा संख्या 2376/3153 रकबा 1.5930 किस्म बा.3 पर (अन्य खातेदारों से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड यथावत्) दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.10.2021 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

02.10.21

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:18:49 IST
Reason: SelfAttested